

FROM : SEC ENERGY

FAX NO. : 07712510350

17 Mar. 2015 3:51PM P1

142

(117)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013

[भाग 1]

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्रमांक/स्था./173/पंचा.संचा./2012/49.—छत्तीसगढ़ वित्त संहिता जिल्द एक नियम 2(14) में प्रविधान अनुसार पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिये आयुक्त-सह-संचालक, पंचायत को विभागाध्यक्ष घोषित किया जाता है।

यह सश्रुति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 740/सी.एन./बफेट-1/विरा/द्वार 2012/1003505, दिनांक 30-10-2012 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक 2601, दिनांक 12-12-2012 द्वारा प्रदान की गयी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, उप-सचिव।

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, केपीटल कॉम्प्लेक्स, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2013

क्रमांक 156/2605/12/19/तक-4.—छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में, भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 (1851 का 8) की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा बी.ओ.टी./डी.बी.एफ.ओ.टी. नमूने के अन्तर्गत विकसित सड़कों या सड़क के भाग पर समापन प्रमाण पत्र में उल्लिखित तारीख से, शीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट तथा उक्त सारणी से संलग्न स्पष्टीकरण के अधधीन रहते हुए, प्रति फेरा, प्रति यान के आधार पर निम्नानुसार दरों पर पथकर उद्ग्रहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है, अर्थात् :—

सारणी

स. क्र. (1)	वाहन के प्रकार (2)	पथकर की दरें प्रति कि.मी. (3)
1.	कार, जीप, वैन एवं मिनी बस	रुपये 0.50
2.	एल.जी.वी. (लाइट गुड्स व्हीकल), बस	रुपये 1.50
3.	ट्रक (2 एक्सल)	रुपये 3.00
4.	हैवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी (एच.सी.एम) अथ मूविंग एक्विपमेंट (ई.एम.ई.) तथा मल्टी-एक्सल व्हीकल (एम.ए.व्ही.) (3 से 6 एक्सल).	रुपये 6.00
5.	ओवर साईज व्हीकल (7 या अधिक एक्सल)	रुपये 12.00

स्पष्टीकरण

- (क) "कार", "जीप" तथा "वैन" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक न हो।
- (ख) "मिनी बस" एवं "एल.जी.व्ही. (लाइट गुड्स वाहन)" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन जिसका सकल यान भार 7.5 टन से अधिक परन्तु 12 टन से अधिक न हो।
- (ग) "ट्रक", "बस" एवं "2 एक्सल ट्रक" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 12 टन से अधिक किन्तु 20 टन से अधिक न हो।

000061

"मोटर वाहन शरीर", "अर्थ मूविंग इक्विपमेंट" तथा "मल्टी-एक्सल व्हीकल (3 से 6 एक्सल)" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल यान भार 20 टन से अधिक किन्तु 60 टन से अधिक न हो।

"मल्टी-एक्सल व्हीकल (7 या अधिक एक्सल)" से अभिप्रेत है ऐसा कोई भी यांत्रिक वाहन, जिसका सकल भार 60 टन से अधिक हो।

राज्य, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चयनित निजी विकासकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा एकत्रित किया जायेगा। प्रत्येक पथकर व्यापक रूप से पथकर की दरें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

पथकर की दरें, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर की दर से बढ़ाई जाएंगी, जिसको निकटतम एक रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा। पूरी आधारित मूल दरों में प्रथम बार 01-04-2013 से प्रभावी होंगी।

4. उपरोक्त दरें केवल एक बार उपयोग हेतु हैं।

5. राज्य सरकार वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियों को इन सड़कों पर चलने/इन पथकर पुलों/प्लाजा को पार करने के दौरान पथकर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

- (क) छत्तीसगढ़ सरकार के समस्त यान तथा वे यान, जो शासकीय कर्तव्य पर हों।
- (ख) संसद के सदस्यों तथा विधानसभा के सदस्यों के यान।
- (ग) तत्कालीन यान के प्रमुख यान, जिनके कर्तव्य पर हों।
- (घ) एम्बुलेंस।
- (ङ) फायर ब्रिगेड।
- (च) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान।
- (छ) कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले ट्रैक्टर/ट्रैक्टर ट्रॉली/ट्रॉली युक्त ट्रैक्टर और बैलगाड़ियां।
- (ज) ऑटो रिक्शा, हुपहिया तथा बैलगाड़ियां।
- (झ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा उपयोग किये जाने वाले यान।
- (ञ) अन्य वाहन, जो कि शासन द्वारा छूट के लिये अधिसूचित किये गये हों।

टीप :- इस प्रकार छूट प्राप्त यान/वैन के चालक को अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य, जिस पर वह संलग्न (नियुक्त) है, की प्रकृति बताना आवश्यक होगा।

No. 156/2605/2012/19/T-4.— In exercise to the powers conferred by section 2 read with section 4 of Indian Toll Act, 1851 (8 of 1851), in its application to the State of Chhattisgarh, the State Government hereby approves the following toll rates, as specified in the table below and subject to the explanation appended to the said table, to be levied as toll tax on the basis of per trip per vehicle, on the roads or part of road developed under BOT/ DBFOT pattern, from the date mentioned in completion certificate, namely :—

S. No. (1)	Type of vehicle (2)	Rates of tolls per km (3)
1.	Car, Jeep, Van and Mini bus	Rs. 0.50
2.	L.G.V. (Light Goods vehicles), Bus	Rs. 1.50
3.	Truck (two axle)	Rs. 3.00
4.	Heavy Construction Machinery (HCM), Earth Moving Equipment (EME) and Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	Rs. 6.00
5.	Over Size Vehicles (seven or more axles)	Rs. 12.00

Explanation.

"Car", "Jeep" and "Van" means any mechanical vehicle whose gross vehicle weight does not exceed

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013

[भाग I]

144

- (b) "Mini Bus" and "LGV (Light Goods Vehicle)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 7.5 tones but less than 12 tones.
- (c) "Truck", "Bus" and "Two axle Truck" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 12 tones but less than 20 tones.
- (d) "Heavy Construction Machinery", "Earth Moving Equipment" and "Multi Axle Vehicle (three to six axles)" means any mechanical vehicle with gross vehicle weight exceeding 20 tones but less than 60 tones.
- (e) "Oversized vehicle (seven or above axles)" means any mechanical vehicle having gross weight exceeding 60 tones.

2. Toll Tax shall be collected by the Private developer selected by the State Government or the Person authorized by him. The toll rates shall be specified for each Toll Plaza by the Government of Chhattisgarh.

3. The toll tax rates shall be increased by 10% every year rounded off to the nearest one rupee. The first increase in distance based basic rates shall be made effective from 01-04-2013.

4. The above rates are for one time use only.

5. The State Government exempts the following categories of vehicles from payment of tolls while plying on such roads/crossing such toll bridges/plaza, namely:—

- (a) All Vehicles of Government of Chhattisgarh and the vehicles which are on Government duty.
- (b) Vehicles of Members of Parliament and Members of Legislative Assembly.
- (c) All vehicles of the armed forces, when on duty.
- (d) Ambulance
- (e) Fire brigade
- (f) Vehicles of Indian Post and Telegraph Department.
- (g) Tractor/Tractor trolley/Tractor with trolley and bullock carts used for agricultural purposes.
- (h) Auto rickshaws, two wheelers, bullock carts.
- (i) Vehicles being used by freedom fighters and recognized journalists.
- (ii) Other vehicles as notified for exemption by the Government.

Note :— The driver of such exempted Vehicles/Van shall be required to state his name, rank and the nature of duty on which he is engaged.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सहगल, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्रमांक एफ-17-106/2009/25-2.— भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का संशोधन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (संशोधन) नियम, 2011 प्रवृत्त करते हुए उक्त मूल नियम 12(4) (राहत राशि के लिए मापदण्ड) अनुसूची उपाबंध-1 को संशोधित किया गया है.

000063

